फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जयपुर

केस संख्या 16/2024   [illegible] बनाम गजेन्द्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	[illegible]
	18/11/24	पत्रावली आज दिनांक 18/11/24 को पेश हुई। दि [illegible] एड. बार एसो. [illegible] जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/11/24 को पेश हो।	
	19/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण ने आज भी जवाब/बहस पेश नहीं की है अतः जवाब/बहस का अवसर बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने निवेदन किया की विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण जबरन विवादित भू-भाग का बेचान एवं मौका परिवर्तन करने पर उतारू है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न्यायोचित लगता है ऐसी स्थिति में निर्माण एवं बेचान की संभावना के मद्देनजर एवं वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादपत्र के पैरा-1 में अंकित खसरा नम्बर पर मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखें। यह आदेश [illegible] कार्य करने पर लागू नहीं होंगे [illegible] पेश होकर दाखिल हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:22 IST
Reason: SelfAttested